

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एम/11/20/2004/नियुक्ति/चार

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- नियुक्तियों पर प्रतिबंध।

संदर्भ:- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक (1) एल-17/1/2000/ब/7/चार दिनांक 14 जनवरी, 2000 (2)

एल-17/1/2000/ब/7/चार दिनांक 31-3-2001 (3) एल-17/1/2000/ब/7/चार दिनांक 30

अक्टूबर, 2001 (4) एल-17/1/2000/ब/7/चार दिनांक 14 मई, 2002

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों के अनुसार नियुक्तियों पर प्रतिबंध के आदेश प्रसारित किये गये हैं। इन परिपत्रों द्वारा प्रसारित आदेश अभी भी लागू है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इन आदेशों के अनुसार सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है केवल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अलिपिकीय पद, राजस्व विभाग में पटवारी, पुलिस विभाग के कांस्टेबल एवं शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में शिक्षाकर्मियों की नियुक्तियां प्रतिबंध से मुक्त रखी गई हैं।

उपर्युक्त आदेश प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/नगरीय निकायों/विकास प्राधिकरणों/स्वायित्व शासकीय संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेसानुसार


(सुमित बोस)
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एम् 11/20/2004 /भिन्न/ ना।

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004

प्रतिलिपि:-

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय।

सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।

नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश

अवर सचिव (स्थापना), अवर सचिव (अधीक्षण), लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, (लेखा
शाखा), मध्यप्रदेश शासन, मत्रालय भोपाल।

समस्त वित्त अधिकारी/कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. निबंधक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।

6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।

(बाबूलाल जैसवार)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग